# Inspection checklists - Labour Department

Central Inspection System Check List & Procedure

## श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु निरीक्षण हेतु दिशा निर्देश

1. श्रम निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले अधिनियमवार एवं स्थापनावार लक्ष्य संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा जिले में श्रम निरीक्षक को आवंटित सर्कल में उपलब्ध दुकान, होटल, मल्टीप्लेक्स, कारखाने, ईंट भट्टे, क्रशर, मोटर ट्रांसपोर्ट, अण्डरटेकिंग, बीड़ी, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, कृषि नियोजन, भवन निर्माण इत्यादि नियोजन वाली उपलब्ध स्थापना के आधार पर किया जावेगा।

2. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा यह भी निश्चित किया जावेगा कि श्रम निरीक्षक प्रतिमाह निरीक्षण में से कितने निरीक्षण दुकान एवं स्थापना में, फैक्ट्री में, वाणिज्यिक स्थापना में, कृषि, भवन निर्माण इत्यादि नियोजन में करेंगे। ऐसा निर्धारण कर उक्त आदेश की प्रति श्रमायुक्त कार्यालय को भेजेंगे।

3. श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण प्रमुख रूप से उन प्रावधानों में ही किया जावे, जो श्रमिक हित से जुड़े हुए हो। अधिनियमवार निरीक्षण हेतु मुख्य प्रावधान (चेकलिस्ट) जिनमें निरीक्षण किया जाना है, निम्नानुसार है:–

### (1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

(i) अधिनियम की **धारा 12 एवं नियम 1** के अन्तर्गत श्रमिको को न्यूनतम वेतन का प्रदाय सुनिश्चित कराना

(ii) अधिनियम की **धारा 18 एवं मध्यप्रदेश नियम 29 (1), (2), (5) एवं 31 (ए)** के अन्तर्गत श्रमिक से संबंधित अभिलेख, मस्टर रोल, वेतन पंजी, नियोजन पत्रक एवं श्रमिकों को वेतन पर्ची का प्रदाय।

### (2) संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970

(i) अधिनियम की **धारा 7 नियम 17 (1)** के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जावें।

(ii) अधिनियम की **धारा 12 एवं नियम 21 (1)** के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना एवं **धारा 13 (3) नियम 29 (1)** नवीनीकरण करना सुनिश्चित किया जावें।

(iii) ठेका श्रमिकों के कल्याण तथा स्वास्थ्य के संबंध में विहित प्रावधानों जैसे– **धारा 16 नियम 42** के अन्तर्गत केन्टीन, **धारा 18 नियम 51, 57** के अन्तर्गत पेयजल एवं शौचालय, **धारा 17 नियम 41** के अन्तर्गत रेस्ट रूम, **धारा 19 नियम 58** के अन्तर्गत प्रथमोपचार तथा अन्य प्रसुविधाओं के संबंध में जांच की जावें।

(vi) धारा 21 एवं नियम 72 व 73 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक द्वारा समय पर श्रमिकों का भुगतान अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठेकेदार द्वारा किया जाना एवं इस भुगतान को प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(v) धारा 29 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक तथा ठेकेदारों द्वारा प्रावधानित पंजी एव अभिलेखों के संधारण की जांच की निम्न बिन्दुओं के संबंध में की जावें:–

(A) नियम 74 के अनुसार प्रमुख नियोजक द्वारा ठेकेदारों की पंजी के संधारण की जांच की जावें।

(B) नियम 75 के अन्तर्गत प्रत्येक ठेकेदारों द्वारा सभी श्रमिकों के नियोजन के संबंध में पंजी संधारित की जावें।

(C) नियम 76 के अन्तर्गत सभी ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को नियोजन पत्रक देना सुनिश्चित किया जावें।

(D) ठेका श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान तथा नियम 25 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के परिपालन की जांच निरीक्षण में की जावें।

(3) <u>मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958</u>

(i) स्थापना का पंजीयन अधिनियम की धारा 6 (2) नियम 3 (1) तथा नवीनीकरण की धारा 6 (5) नियम 5 (1) के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जावें।

(ii) दुकान एवं स्थापना जहां श्रमिक नियोजित है, उन्हें सप्ताह में एक दिन नियोजक द्वारा साप्ताहिक अवकाश धारा 13, 18 एवं 23 के अन्तर्गत दिलाया जाना सुनिश्चित करना।

(iii) दुकान एवं स्थापना, होटल, रेस्टोरेन्ट, मल्टीप्लेक्स में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 11, 16 एवं 21 के अन्तर्गत कार्य के घण्टों बाबद जांच की जावें।

(iv) धारा 26 नियम 13 (2) के अन्तर्गत कर्मचारियों को 14 आकस्मिक अवकाश एवं 30 विशेष अधिकार अवकाश का पालन सुनिश्चित कराया जावें।

(v) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियम 1959 की धारा 54 नियम 20 अनुसार निर्धारित पंजी प्रपत्र एन नियोजक द्वारा संधारित करना सुनिश्चित कराया जावें।

(4) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961

(i) धारा 3 नियम 4, 8 (2) के अनुसार उपक्रम का पंजीयन नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जावें तथा नवीनीकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित हों।

(ii) अधिनियम की धारा 3 नियम 13 के अन्तर्गत प्रत्येक वाहन में पंजीयन क्रमांक अंकित करना सुनिश्चित किया जावें।

(iii) अधिनियम की धारा 10 नियम 24 (1) धारा 12 नियम 26 के अन्तर्गत प्रथमोपचार, यूनिफार्म तथा चिकित्सा सुविधा संबंधी प्रावधान की जांच की जावें।

(i)अ प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में निर्धारित कार्य के घण्टे, साप्ताहिक अवकाश तथा संवैतनिक अवकाश का लाभ धारा 13 नियम 27 एवं धारा 19 नियम 29 के अन्तर्गत दिया जाना सुनिश्चित करावें।

(5) बीडी एवं सिगांर कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

(i) अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 नियम 4 के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुज्ञप्ति एवं नवकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

(ii) ) अधिनियम की धारा 15 नियम 20 के अन्तर्गत औद्योगिक परिसर में पीने का पानी, शौचालय, झूलाघर, नहाने धोने की सुविधा, प्रथमोपचार आदि के संबंध में प्रावधानानुसार पालन की स्थिति के संबंध में।

(iii) कार्य के घण्टे, साप्ताहिक अवकाश, अधिसमय कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन भुगतान संबंधी प्रावधान भी निरीक्षण में देखे जावें।

(iv) बीडी बनाने के कार्य में लगे श्रमिकों को तेन्दुपत्ता, तंबाकू तथा धारा आदि नियमानुसार प्रदाय किया जा रहा है अथवा नहीं। यह भी देखे कि बीडी की छांट प्रावधान से अधिक तो नहीं की जा रही है।

(v) श्रमिकों को लागबुक प्रदाय की गई है अथवा नहीं यह भी देखा जावें।

(6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(i) अधियिनयम के अन्तर्गत प्रत्येक कारखाना अथवा ऐसे संस्थान जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित है में निरीक्षण संपादित किया जावें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य संबंधी संस्थानों में भी यह अधिनियम प्रभावशील किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत

निरीक्षण करते समय उन संस्थानों में विशेष रूप से निरीक्षण किया जावें, जहां बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में रूपये 10 हजार तक वेतन राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारी को बोनस भुगतान के लिए पात्र माना है किन्तु बोनस का भुगतान अधिकतम रूपये 3500/– की सीमा में किया जाना है।

(iii) बोनस भुगतान अधिनियम की **धारा 2 (21)** में वेतन की परिभाषा दी गई है। अतः बोनस भुगतान के निर्धारण के समय मूल वेतन तथा विशेष भत्ते को दृष्टिगत रखकर ही बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जावें।

(iv) अधिनियम की **धारा 10** के अन्तर्गत न्यूनतम 8.33 प्रतिशत तथा **धारा 11** के अन्तर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस भुगतान प्रावधान है। अतः न्यूनतम बोनस भुगतान के पश्चात अधिकतम बोनस की गणना में दस्तावेजों का पर्याप्त निरीक्षण किया जावें।

(v) बोनस भुगतान से संबंधित रजिस्टर ए, बी, सी, मेन्टेन कराना सुनिश्चित करें तथा नियोजकों द्वारा प्रपत्र ए,बी,सी,डी, श्रम कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावें।

(7) <u>समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976</u>

(i) महिला एवं पुरूष श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रदाय अधिनियम की **धारा 4 नियम 1** के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जावें।

(ii) श्रमिकों की भर्ती के समय महिला श्रमिक होने के कारण भेदभाव नहीं हो की भी जांच की जावें।

(iii) निरीक्षक को जहां महिला श्रमिकों को पुरूष श्रमिकों से कम भुगतान की स्थिति पाई जाये, निरीक्षण कर एवं संबंधित श्रमिकों के बयान लेकर **धारा 7** के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी (सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी) के समक्ष दावा एवं शिकायत प्रस्तुत की जावें। इस संबंध में तत्परता एवं सतर्कता बरतते हुए दावा एवं शिकायत का निराकरण शीघ्र कराया जावें।

(8) <u>बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986</u>

(i) **धारा 12** के अन्तर्गत ऐसे संस्थान जहां बाल श्रमिक प्रतिबंधित है उन संस्थानों में **धारा 3 एवं 14** के प्रावधान के संबंध में सूचना सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जावें।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रमिकों के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 10.12.1996 के अनुसार प्रतिबंधित कार्य में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन तथा रूपये 20 हजार प्रति बाल श्रमिक क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने की कार्यवाही की जावें। यह राशि जमा नहीं कराने वाले पर वसूली की कार्यवाही की जावें।

(iii) ऐसी स्थापनाओं जहां बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित नहीं है वहां निरीक्षण के समय नियोजित बाल श्रमिकों के कार्य के घण्टे, अन्तराल (मध्यावकाश) की सूचना तथा रिकार्डस मेन्टेन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(9) **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1996**

(i) अधिनियम की **धारा 7** के अन्तर्गत समस्त भवन निर्माण कार्य का स्थापना का पंजीयन सुनिश्चित कराया जावें।

(ii) निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के अधिनियम की **धारा 28** के अन्तर्गत कार्य के घण्टे **धारा 29** के अन्तर्गत अधिसमय कार्य के लिए दोगुनी राशि से भुगतान तथा नियोजक द्वारा **धारा 30** के अन्तर्गत रजिस्टर तथा रिकार्डस मेन्टेन किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) कार्य स्थल पर अधिनियम की **धारा 32** के अन्तर्गत पीने के पानी, **धारा 33** के अन्तर्गत शौचालय–मूत्रालय, **धारा 34** के अन्तर्गत अस्थायी आवास व्यवस्था, **धारा 35** के अन्तर्गत झूलाघर, **धारा 36** के अन्तर्गत प्रथमोपचार, **धारा 37** के अन्तर्गत केन्टीन संबंधी प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जावें।

(iv) **धारा 46** के अन्तर्गत निरीक्षकों को 30 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर सूचना भेजने संबंधी प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जावें।

(10) **मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961**

(i) अधिनियम की **धारा 5** के प्रावधानानुसार प्रत्येक महिला कर्मचारी चाहे वह सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है एवं उसके द्वारा प्रसव दिवस के विगत 12 माह में कम से कम 80 दिवस वास्तविक कार्य किया गया हो, वह मातृत्व हितलाभ की पात्र होगी जिसमें ले–ऑफ एवं संवैतनिक अवकाश शामिल है।

(ii) अधिनियम की **धारा 4** की उपधारा 3 नियम 1 एवं 2 के प्रावधानानुसार महिला को अधिकतम 12 सप्ताह की अवधि की मातृत्व हितलाभ की पात्रता होगी, जो कि 6 सप्ताह प्रसव के दिन तक तथा 6 सप्ताह उसके बाद की होगी।

(iii) अधिनियम की **धारा 8** के प्रावधानानुसार महिला को रूपये 250/– चिकित्सा बोनस की पात्रता होगी, यदि नियोजक निशुल्क सुविधा प्रदान नहीं कराते है।

11. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(1). नियम 3 के अन्तर्गत नियोजक द्वारा नियंत्रण प्राधिकारी को निम्नानुसार सूचना दी जावेगी :–

1. प्ररूप–ए में 30 दिन के अन्दर, संस्थान प्रारंभ करने की सूचना,

2. नियोजक/संस्थान के नाम, पते, व्यावसाय की प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में प्ररूप–बी में 30 दिन के अन्दर सूचना प्रस्तुत करना,

3. संस्थान बन्द करने की स्थिति में प्ररूप–सी में 60 दिन पहले सूचना देना।

(2). नियम 4 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पदनाम की सूचना संस्थान के प्रवेश द्वार/सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना।

(3). नियम 20 के अन्तर्गत अधिनियम एवं नियम का सारंश स्थापना के मुख्य द्वार पर सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना।

(4). अधिनियम की धारा 4–ए के अन्तर्गत उपादान भुगतान हेतु बीमा की आवश्यकता।

(5). नियम 6 के उप नियम 1 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा प्ररूप–एफ में नाम निर्देशन नियोजक को प्रस्तुत किया जाना तथा नियोजक द्वारा उसका सत्यापन किया जाना।

(12) **कारखाना अधिनियम 1948**

(1) अधिनियम की धारा 6 से 7 के तहत कारखाना लायसेंस संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करवाये जाना

(II) अधिनियम की धारा 11 से 20 के तहत श्रमिको के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करवाना जिसमें धूल एवं गैसेस कि स्थिति,पीने का पानी, एवं शौचालय के प्रावधानो के पालनो को सुनिश्चित करवाना

(iii) धारा 21 से 40 बी तक के सुरक्षा संबंधी प्रावधानो को सुनिश्चित करवाया जाना जिसमे मुख्यतः प्लांट एवं मशीनो से सुरक्षा एवं खतरनाक गैसेस,आग एवं विस्फोटक स्थिति एवं सामाग्री से बचाव सुनिश्चित करवा जाना तथा श्रमिको के द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणो के उपयोग को सुनिश्चित करवाया जाना

(iv) धारा 41 बी,41 सी, 41 एफ, जिसमें खतरनाक कारखानो में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान ,श्रमिको के स्वास्थ्य परीक्षण के रिकार्ड, सुपरवीजन, आक्युपेशनल हेल्थ सेंटर एवं कार्य वातावरण में खतरनाक रसायनो कि जांच संबंधी प्रावधानो का पालन सुनिश्चत करवाया जाना है ।

( v) अधिनियम कि धारा 42 से 50 तक के प्रावधान जिसमें मुख्यतः प्रथमोउपचार व्यवस्था केन्टीन एवं झूला घर संबंधी प्रावधानो को सुनिश्चित करवाया जाना ।

(vi ) धारा 51 से 62 तक के प्रावधान जिसमें श्रमिको के कार्य के समय, भुगतान,ओवर टाइम एवं इनसे संबंधित रिकार्ड से संबंधित प्रावधानो का सुनिश्चित किया जाना ।

( vii) धारा 79 इसमे श्रमिको के सवैतनिक अवकाश (वार्षिक छुट्यिां) एवं संबंधित रिकार्ड प्रावधानो का पालन करवाया जाना ।

( viii) धारा 88 से 89 तक के प्रावधान जिसमें दुघटनाओ,आग एवं विस्फोट एवं व्यसायिक अन्य बीमारियो से संबंधित सूचनाओं संबंधी पॅालन सुनिश्चित किया जाना ।

(13) **वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :–**

जिन श्रमिको का मासिक वेतन 18,000/– प्रतिमाह तक है के संबंध में अधिनियम कि धारा 5 एवं 9 के अनुसार श्रमिको को निर्धारित दिनांक तक बगैर अवैधानिक कटोत्रे के वेतन भुगतान करवाया जाना एवं उससे संबंधित रिकार्ड एवं पत्रक रखे जाना सुनिश्चित करवाया जाना ।

वेतन भुगतान नही किये जाने पर धारा (14) 4 के तहत वैद्यानिक आदेश देना एवं धारा 15 के अतंर्गत दावा प्रकरण तैयार करना ।